

विषय:—जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति परियोजनान्तर्गत जनपद—सोनभद्र की पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु ग्राम—कनछ के आराजी सं० 4ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु $400 \times 150 = 60000$ वर्ग मीटर (6.00 हे०) व पाईप लाइन हेतु 1200×2.5 मी० = 3000 वर्गमीटर (0.3 हे०) तथा जैकवेल (क्वार्टर) $40 \times 25 = 1000$ वर्ग मीटर (0.100 हे०) योग (6.4 हे०) एवं ग्राम कनछ के आराजी संख्या—1 मि० सोन नदी वन भूमि में $50 \times 6 = 300$ वर्गमीटर (0.0300 हे०) इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु पाइप लाइन एवं नदी के अन्दर इन्टेकवेल चैम्बर $5 \times 5 = 25$ वर्गमीटर (0.0025 हे०) योग (0.0325 हे०) कुल योग—6.4325 हे० भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव।

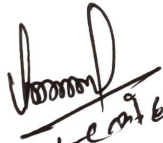
उ०प्र० शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190G/2019 Dt. 28.06.2019

सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद—सोनभद्र, तहसील—रॉबर्ट्सगंज, परगना—अहरौरा के ग्राम लोहरा के आराजी नं० 166 मि के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयीं कुल 6.4325 हेक्टे० भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या—वी०आई०पी०—23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर—2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।”


(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सुकत-मीरजापुर


हैमन्त
अध्यक्ष-ताना


र. क. सिंह
तहसीलदार
राबर्ट्सगंज


S. D. M.
उपजिलाधिकारी
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र